म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स किसान भवन जेल रोड़ भोपाल

क्रमांक / नवीनमण्डी / वि / 46 / 1 / पार्ट–2 / मापदण्ड / 217 भोपाल, दिनांक 7/6/19

प्रति,

सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति ....
जिला ....(म0प्र0)

विषयः– नवीन मंडी / उपमंडी की स्थापना हेतु मापदण्ड निर्धारण बावत।
संदर्भः– अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रलय का ज्ञाप क्रमांक डी–15–16 / 2019 / 14–2 भोपाल, दिनांक 31 मई,2019

—00—

कृपया विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करे, (छाया प्रति संलग्न)। प्रदेश में नवीन कृषि उपज मंडी समितियों (सामान्य क्षेत्र एवं आदिवासी क्षेत्र) की स्थापना के लिये पूर्व में म0प्र0 शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय के ज्ञाप दिनंक 02.02.2016 में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक 01 एवं 03 के कालम 04 में दर्शित वार्षिक आय–50.00 लाख एवं 30.00 लाख के मापदण्ड निर्धारित किये गये थे, जिसके स्थान पर अव 1.00 करोड़ (रूपये एक करोड़) निर्धारित किये गये हैं। शेष मापदण्ड यथावत रहेंगे।

अतः उपरोक्त शासन के निर्धारित मापदण्ड के दोनों पत्रों का विशेष ध्यान में रख कर ही प्रस्ताव निर्धारित प्रश्नावली में तैयार कर संबंधित मंडी बोर्ड, आंचलिक कार्यालय की अनुशंसा से संबंधित जिला कलेक्टर की अनुशंसा से इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

कार्यवाही अपर संचालक द्वारा अनुमोदितं।

उपसंचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक / नवीनमण्डी / वि / 46 / 01 / पार्ट–2 / मापदण्ड / 218 भोपाल, दिनांक 7-6-19

प्रतिलिपिः–

1 कलेक्टर जिला .... समस्त (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2 संयुक्त संचालक / उपसंचालक म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय .... समस्त की ओर भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार शासन के संदर्भित पत्रों को विशेष ध्यान में रखते हुये प्रस्ताव अपनी अनुंशसा से संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें ।

उपसंचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/ 30/1832/2016/14-3 भोपाल, दिनांक 2 .2.2016

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
क. 1gv/1833 दि. 02/02/16
शाखा- Add. D. (7)
नि.स. प्रबंध संचालक

प्रति,

प्रबंध संचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल।

विषयः-- नवीन मंडी/उपमंडी की स्थापना हेतु मापदण्ड निर्धारण बावत।
संदर्भः-- इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक डी-15-8/07/14-3 भोपाल, दिनांक 26.2.2007 में संशोधन करने बावत।

-00-

इस विभाग के संदर्भित ज्ञापन द्वारा प्रदेश में नवीन मंडी/उपमंडी की स्थापना हेतु निर्धारित मापदण्ड संशोधित करते हुये निम्नानुसार नवीन मापदण्ड निर्धारित किया जाता है:-

क्रमांक	मंडी/उपमंडी	भूमि	वार्षिक आय (रूपये लाख में)	थोक व्यापारियों की संख्या
1	सामान्य क्षेत्र में नवीन मंडी की स्थापना।	6.000 हेक्टेयर (15.00 एकड़)	50.00	15
2	सामान्य क्षेत्र में नवीन उप मंडी की स्थापना।	2.000 हेक्टेयर (5.00 एकड़)	20.00	10
3	आदिवासी क्षेत्र में नवीन मंडी की स्थापना।	4.000 हेक्टेयर (10.00 एकड़)	30.00	10
4	आदिवासी क्षेत्र में नवीन उपमंडी की स्थापना।	2.000 हेक्टेयर (5.00 एकड़)	15.00	10

नोटः-1. कृषि उपज मंडी समिति के अन्तर्गत स्थापित उपमंडी का स्वतंत्र मंडी के रूप में उन्नयन किये जाने के फलस्वरूप निर्धारित मापदण्ड अन्तर्गत आय के अनुसार विभाजित मंडी समिति की आय प्रभावित नहीं होना चाहिये।

2. एक मंडी से दूसरी मंडी की दूरी 15 किलो मीटर रहेगी।

(अजय गुप्ता)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

AD(G)775
3/2/16
JD.
4/2/16

522

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक डी–15–16/2019/14–2 भोपाल, दिनांक 31 मई, 2019

प्रति,

प्रबंध संचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल।

विषय :– नवीन मंडी/उपमंडी की स्थापना हेतु मापदण्ड निर्धारण बावत।

संदर्भ :– इस विभाग का ज्ञापन क्र. 319/1832/2016/14–3 भोपाल, दिनांक 02.02.16

इस विभाग के संदर्भित ज्ञापन द्वारा प्रदेश में नवीन मंडी/उपमंडी की स्थापना हेतु निर्धारित मापदण्ड जारी किए गए थे।

मंडी समितियों में पदस्थ अमले की स्थापना व्यय तथा अन्य वैधानिक निधियों की पूर्ति हेतु प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन के क्रम में, घ–वर्ग की नवीन मंडी/उपमंडी की स्थापना हेतु निर्धारित मापदण्डों में सामान्य क्षेत्र एवं आदिवासी क्षेत्र में नवीन मंडी की स्थापना हेतु आय का मापदण्ड राशि रू0 50.00 लाख (रू. पचास लाख) के स्थान पर रू0 1.00 करोड़ (रू. एक करोड़), नवीन मापदण्ड निर्धारित किए जाते हैं।

शेष मापदण्ड यथावत रहेंगे।

31/5/2019
(प्रकाश कुमार माखीजा)
पदेन अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
क्र. Agm/109 दि. 01/6/19
शाखा AD(प्रशासन)
निस. प्रबंध संचालक

Action reqd
03/06/19

email ...19